# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राज०

तारीख रजू.........................

मिसल नं. 3/1/26

रामलाल वगैरा बनाम तहसीलदार कठूमर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा,136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री सुभाषचन्द शर्मा कठूमर एड0 उपस्थित होकर पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना– पत्र दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस से तलब हो पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.01.2026 को पेश।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | |
| 13/01/26 | वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब पैरोकार हेतु दिनांक 6/3/26 को पेश हो<br>SDO | |
| 6/3/26 | वकील प्रार्थी [illegible] जवाब/मौका पर्चा रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत की NOC पेश की गई। रा० कि० की गई। पत्रावली पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश 13/3/26 को पेश हो<br>SDO | |
| 13/3/26 | वकील प्रार्थी ~~[illegible]~~ पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी अपनी प्रार्थना को साबित करने में सफल रहा। अतः प्रार्थना पत्र 136 LRA स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया<br>SDO | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर ) .

**पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)**

राजस्व वाद संख्याः— 3 / 1 / 2026 दायर दिनांकः—7 / 01 / 2026

जीसीएमएस नं0ः— 2026 / 01 निर्णय दिनांकः—13 / 03 / 2026

बउनवान

1. रामलाल पुत्र खिल्लन जाति मांली निवासी गारू तहसील कठूमर।
2. सोहनलाल पुत्र खिल्लन जाति माली निवासी गारू तहसील कठूमर।
3. रामकिशोर पुत्र खिल्लन जाति माली निवासी गारू तहसील कठूमर।
4. मुकेश पुत्र खिल्लन जाति माली निवासी गारू तहसील कठूमर।
5. अतरी पुत्री खिल्लन जाति माली निवासी गारू तहसील कठूमर जिला अलवर।

———प्रार्थी

**बनाम**

1. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर जिला अलवर**

———अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम धारा—1956**

उपस्थितिः—1.श्री सुभाषचन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2.तहसीलदार कठूमर पैरोकार अप्रार्थी

## —::निर्णय::—

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 2024, 898, 901, 906, 1000, 1001, 987, 995, 996, 998, 903, 905, 999, 997, 2025 / 2684, 841 / 2680, 897, 899, 900, 902, 904, 907, 908, 909, ग्राम गारू तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी प्रार्थीगण के पिता का नाम उनके हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खिल्लन पुत्र प्रभाती दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम अन्य दस्तावेजात वोटर आर्ड डी, राशन कार्ड आदि में नाम रामखिलाडी पुत्र प्रभाती दर्ज है तथा वास्तव में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामखिलाडी है किन्तु राजस्व

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज०

अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता का नाम खिल्लन पुत्र प्रभाती दर्ज किया गया है प्रार्थीगण के पिता रामखिलाडी का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थीगण के पिता अनपढ एवं काश्तकार व्यक्ति थे जिन्होने अपने जीवन का मे नाम दुरूस्त नहीं कराया। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से पिता का नाम दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलब किया गया। दिनाक 06.032026 को अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीयाने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में जमाबन्दी हाल वाके ग्राम गारू नकल छायाप्रति की छाया प्रति पेश की की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी प्रार्थीगण के पिता का नाम उनके हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खिल्लन पुत्र प्रभाती दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम अन्य दस्तावेजात वोटर आई डी, राशन कार्ड आदि में नाम रामखिलाडी पुत्र प्रभाती दर्ज है तथा वास्तव में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामखिलाडी है किन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता का नाम खिल्लन पुत्र प्रभाती दर्ज किया गया है प्रार्थीगण के पिता रामखिलाडी का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थीगण के पिता अनपढ एवं काश्तकार व्यक्ति थे जिन्होने अपने जीवन का मे नाम दुरूस्त नहीं कराया। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से पिता का नाम दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया है

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि पटवारी मौका पर्चा दिनांक 26.02.2026 बताया गया है की मृतक रामखिलाडी एवं खिल्लन एक ही व्यक्ति है एवं जिसको प्रशासक ग्राम पंचायत ने भी इनका वास्तविक नाम रामखिलाडी होना बताया गया अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि से प्रार्थीगण के पिता का नाम

उपखण्ड अधिकारी
...(अलवर) राज०

खिल्लन पुत्र प्रभाती ना होकर रामखिलाडी पुत्र प्रभाति होना सावित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956 सावित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

## —::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956 सावित होने से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2024, 898, 901, 906, 1000, 1001, 987, 995, 996, 998, 903, 905, 999, 997, 2025/2684, 841/2680, 897, 899, 900, 902, 904, 907, 908, 909, ग्राम गारू तहसील कठूमर पर प्रार्थीगण के पिता का नाम खिल्लन पुत्र प्रभाती के स्थान पर रामखिलाडी पुत्र प्रभाती दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेष है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.